AADHAAR

HINDUSTAN, Delhi, 16.9.2017
Page No. 1, Size:(8.74)cms X (10.33)cms.

ड्राइविंग लाइसेंस आधार से जल्द जुड़ेगा: रविशंकर

गुरुग्राम | प्रमुख संवाददाता

योजना

- केंद्रीय मंत्री ने कहा, इससे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक लगेगी
- पैन कार्ड को आधार से जोड़ने से मनी लांड्रिंग पर लगाम लगी

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि सरकार पैन नंबर के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से जोड़ेगी। इसका मकसद फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक लगाना है।

गुरुग्राम में आयोजित डिजिटल हरियाणा सम्मेलन 2017 को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार की योजना ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने की है। इसे लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी से विचार-विमर्श हुआ है। सरकार इससे पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल गवर्नेंस की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक अच्छा प्रशासन सुनिश्चित करने में मददगार है। डिजिटल तकनीक से लोगों तक पहुंच आसान हो जाती है।

उन्होंने कहा कि पैन कार्ड से आधार को लिंक करने का उद्देश्य हवाला कारोबार को रोकना है। आधार को डिजिटल पहचान बताते हुए प्रसाद ने कहा कि डिजिटल पहचान से भौतिक पहचान सुनिश्चित होती है।